फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

कु.अन्जू व अन्य बनाम गिरधारी व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–254/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस वकील प्रार्थीगण दिनांक 25.10.19 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण के दादा रेवन्तराम पुत्र श्री पूर्णराम के नाम से रोही बछरारा के ख0न0 390/2.6300 है, ख0न0 395/4.3010, ख0न0 396/4.6040, ख0न0 398/4.0600 है0, ख0न0 400/0.9610 है0, ख0न0 622/416 में 2.5920 है0 कुल 19.1480 है0 बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के दादा रेवन्तराम का देहान्त दिनांक 11.12.2014 को हो चुका है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 वारिस है। उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के जायज वारिसान है। प्रश्नगत भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण का कानूनी हक बनता है। प्रार्थीगण का पिता गिरधारी प्रार्थीगण की माता कमलादेवी का कत्ल करने के जुर्म में सब जेल सूरतगढ़ में है। प्रार्थीगण का पिता गिरधारी वादाधीन भूमि को बेचान करना चाहता है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ने वादाधीन भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण अपने नाना के पास रह रहे है। प्रार्थीगण के पास आय का कोई ओर साधन नही है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ने वादाधीन भूमि का बेचान या अन्य तरीके से खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 में अंकित रोही बछरारा के खाता संख्या 157 नया 164 पुराना में कुल 19.1480 है0 बारानी दोयम में प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा में से 3/4 हिस्सा एवं खाता सं. 67 नया 69 पुराना की 42.4290 है0 बारानी संयुक्त खाता की भूमि जो प्रार्थीगण के दादा रेवन्तराम व उसके भाईयों के नाम से संयुक्त खाता में 1/6 हिस्सा में से 1/8 हिस्सा में से प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा बनता है। अप्रार्थीगण 1 ता 7 आपस में मिलकर कर अप्रार्थी नं. 1 के हिस्सा की भूमि को बेचान, अन्यत्र रहन करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रकरण में दिनांक 22.12.14 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा के निर्णय तक स्थाई की जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है कि वादाधीन भूमि प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 6 में अंकित भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है या नही, यह दावा में निर्णय होगा। किन्तु यदि वादाधीन भूमि का अप्रार्थीगण ने बेचना, अन्यत्र रहन कर दिया तो प्रार्थीगण को न पुरा होने वाला नुकसान होना संभावित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा.पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 22.12.2014 को प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के निर्णय तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.13 17:43:05 IST
Reason: SelfAttested